संख्या– 507 / XIX / 2004–38 / खाद्य / 02

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल,देहरादून।

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति अनुभाग    देहरादून: दिनांक: 14 सितम्बर, 2004

विषयः जनपद टिहरी के नैनबाग स्थान पर खाद्य गोदाम का निर्माण (जिला योजना) हेतु वर्ष 2004–05 में स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–536 / 40–20 / लेखा / गोदाम नि0 / 04–05 दिनांक 03 जुलाई, 2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल के नैनबाग स्थान पर खाद्य गोदाम निर्माण के लिये परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, नई टिहरी द्वारा तैयार रूपये 36.58 लाख के आगणन को T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 29.19 लाख अनुमोदित किया गया था जिसके विरूद्ध रू0 10 लाख की प्रथम किस्त शासनादेश दिनांक 10–01–2003 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त योजना हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित / संशोधित आगणन रू0 52.56 लाख के सापेक्ष T.A.C. द्वारा परिक्षणोपरान्त संस्तुत लागत के अनुरूप रूपये 45.40 लाख (रूपये पैन्तालीस लाख चालीस हजार मात्र) के आगणन की अब पुनरीक्षित प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2004–05 में निमार्ण कार्य के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 35.40लाख के विपरीत अब द्वितीय किस्त के रूप में रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दिये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। पुनः पुनरीक्षित किसी भी दशा में अनुमन्य नही होगा।
2. एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित किए जायेगें।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से स्थल परिक्षण कराया जाये एंव तदनुसार ही कार्य किया जाय।
5. स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31/3/2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही प्लान आउटले के अनुसार आगामी किस्त स्वीकृत की जायेगी।

7. आगणन में जिन मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है, उन्ही मदों पर व्यय किया जाये। इस बात का कडाई से पालन किया जाय। कदापि अन्य मदों के उपयोग में नही लाया जायेगा। शासन के आदेशों का अनुपालन कडाई से किया जायेगा।

8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय एंव इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई कार्यदायी सस्था का होगा।

9. स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या 25-लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण एंव भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय-02-भण्डारण तथा भण्डारागारण-आयोजनागत-800-अन्य व्यय--91-जिला योजना में गोदाम निर्माण कार्य-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-1091/वित्त अनु0-3/2004 दिनांकः 08 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या- 502 (1)/XIX/2004-38/खाद्य/02तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,उत्तरांचल ओबराय भवन भाजरा, देहरादून।
2. आयुक्त,खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति,उत्तरांचल,देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल,पौडी।
4. जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल।
5. कोषाधिकारी देहरादून/टिहरी गढवाल
6. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,गढवाल सम्भाग,देहरादून।
7. सम्भागीय लेखाधिकारी, गढवाल सम्भाग,देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक,यूनिट-18,उ0प्र0 जल निगम,टिहरी गढवाल।
9. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग/गार्ड फाइल।
10. समन्वयक एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

Rajeev/Nalobag yojna